रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052022-236030
CG-DL-E-26052022-236030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2022/जयेष्ठ 5, 1944
No. 375]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2022/JYAISTHA 5, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

सा.का.नि. 396(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम 27) की धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव), भर्ती नियम, 2012 को, अधिक्रमित करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों और किए जाने वाले विलोपों को छोड़कर, केंद्रीय सरकार, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के सचिव के पद से संबंधित सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1 **लघु शीर्ष और प्रारंभन–** (1) इन नियमों का नाम विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में इसका स्तर, इन नियमों के साथ अनुबंधित अनुसूची के कॉल (2) से (4) में यथा वनिर्दिष्ट होगा।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि-** भर्ती का तरीका, अर्हता, अनुभव, योग्यता और इससे संबंधित अन्य मामले, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.-** कोई भी व्यक्ति, -

(क) जो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर चुका हो अथवा ऐसा विवाह करने की औपचारिक सहमति दी हो, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है; या

(ख) जो जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर चुका हो अथवा या ऐसा विवाह करने पर औपचारिक सहमति दी हो

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होगा:

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक विधि के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू किए जाने से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह लिखित में अभिलेखबद्ध कारणों से और आदेश द्वारा, किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

6. **छूट.-** इन नियमों की कोई भी बात, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व-सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित किसी भी आरक्षण, आयु-सीमा की छूट या अन्य कोई रियायत को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सचिव	01.	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित (गैर-अनुसचिवीय)	स्तर 14 (रु.1,44,200 - 2,18,200).	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं, पदोन्नति वालों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन से भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केंद्र सरकार के अधिकारी (क) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा (ii) पे मैट्रिक्स के लेवल 13ए (रु. 1,31,100 - 2,16,600/-) के पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) पे मैट्रिक्स के लेवल 13 (रु. 1,23,100 - 2,15,900) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हो – मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विमानन के क्षेत्र में पूर्व अनुभव हो अथवा जिन्होंने विनियमन तथा अवसंरचना प्रबंधन में कार्य किया हो)। **नोट**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में, इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)- लागू नहीं **चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे –** (i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधि- सदस्य (iii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण - सदस्य (iv) संबंधित क्षेत्र का ख्याति प्राप्त, एक बाहरी विशेषज्ञ जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है – सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. एवी-29012/130/2020-एडी]

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2022

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 read with the clause (e) of sub - section (2) of section 51 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (Act 27 of 2008), and in supersession of the Airports Economic Regulatory Authority (Secretary), Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the terms and conditions of service relating to the post of Secretary in the Airports Economic Regulatory Authority, namely:

1 **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Airports Economic Regulatory Authority (Secretary) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**. – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc**.- The method of recruitment, eligibility, experience, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operations of this rule.

5. **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secretary.	01.	General Central Service, Group' A', Gazetted, (Non-Ministerial)	level 14 (Rs.1,44,200 - 2,18,200).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any.

	promotees.	
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(10)	(11)
By Deputation.	**Deputation :** Officers under the Central Government - (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in level 13A (Rs. 1,31,100 – 2,16,600) of the pay matrix; or (iii) with three years regular service in level 13 (Rs. 1,23,100 – 2,15,900) of the pay matrix; (b) possessing the following qualifications and experience- Graduate degree from a recognised University; (Preference shall be given to the officers with prior experience in the field of Aviation or having exposure to Regulation and Infrastructure Management). **Note**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.
If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (DPC)- Not applicable **The Selection Committee shall consist of –** (i) Secretary, Ministry of Civil Aviation – Chairman (ii) Representative of Department of Personal and Training- Member (iii) Chairman, Airports Economic Regulatory	Not applicable.

Authority – Member. (iv) An outside expert of eminence from the relevant field to be nominated by the Central Government – Member.	

[F. No. AV-29012/130/2020-AD]

RUBINA ALI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.26 16:21:29 +05'30'